संख्या– 159 /पचासी–2011–01(04)/2010

प्रेषक,

संजय कृष्ण,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 भूमि सुधार निगम,
भूमित्र भवन,विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास अनुभाग लखनऊ : दिनांक 16 मई, 2011

विषय– उ0प्र0 भूमि सुधार निगम व्दारा संचालित उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना–तृतीय के कार्यान्वयन हेतु पुराने निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर नये वाहनो को कय किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1–बी/42/09–10/एडीए/333, दिनांक 11–3–2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 भूमि सुधार निगम व्दारा संचालित उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेंशन परियोजना–तृतीय के कार्यान्वयन हेतु पुराने निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर नये वाहनो को कय किये जाने सम्बन्धी आपके प्रस्ताव पर एक अम्बेसडर कार एवं दो महिन्द्रा बोलेरो जीप अर्थात् कुल 03 नये वाहन कय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2– प्रश्नगत गाड़ियों का कय शासन व्दारा समय–समय पर जारी आदेशों/नियमों के अनुसार किया जायेगा।

3– यह आदेश पत्रावली पर प्राप्त वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजय कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

संख्या–159 (1)/पचासी–2011–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी (प्रथम)/लेखा परीक्षा (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग,उ0प्र0 शासन।
4– निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1,उत्तर प्रदेश शासन।
6. अनुभागीय आदेश पुस्तिका (गार्ड फाइल)।

आज्ञा से,

(संजय कृष्ण)
संयुक्त सचिव।